राजस्थान–सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर

क्रमांकः प.1/प्रति.3/नर्स.कम्पा./भर्ती/2021/4/ 15836 दिनांकः 23/8/2022

आदेश

विभाग द्वारा जूनियर नर्स–कम्पाउन्डर के 704 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 1/2021 एवं 2/2021 के तहत भर्ती ऐजेन्सी डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये गये। उक्त विज्ञापन के तहत राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, मेघालय एवं मेघालय राज्य के अन्य शिक्षण संस्थानों से प्राप्त डिप्लोमा/डिग्रीधारी अभ्यर्थियों का Subject to Verification चयन करते हुऐ वरीयता सूची विभाग को उपलब्ध कराई गई। तद्नुसार सत्यापन के अभाव में इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान नहीं की गई।

प्रशासनिक विभाग के आदेश क्रमांकप.11(16)आयु./2020 दिनांक 10.05.2022 द्वारा उक्त डिप्लोमा/डिग्री के सत्यापन/परीक्षण बाबत् एक कमेटी का गठन करते हुए मेघालय जाकर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, मेघालय एवं मेघालय राज्य के अन्य शिक्षण संस्थानों से प्राप्त डिप्लोमा/डिग्री का सत्यापन/परीक्षण कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश प्रदान किये गये।

प्रशासनिक विभाग के उक्त आदेश के क्रम में समिति द्वारा मेघालय जाकर उक्त डिप्लोमा/डिग्री का सत्यापन/परीक्षण किया जाकर जांच रिपोर्ट प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत की गई, जिस पर प्रशासनिक विभाग के पत्र क्रमांक प.11(16)आयु./2020 दिनांक 05.02.2022 के द्वारा जांच रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की गई हैं।

प्रशासनिक विभाग की सहमति की अनुपालना में जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, मेघालय से डिप्लोमा इन आयुर्वेद नर्सिंग एण्ड फार्मेसी पाठ्यक्रम/शैक्षणिक अर्हता विभाग की विज्ञप्ति के अनुरूप पूर्ण नहीं होने एवं महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, मेघालय से उक्त पाठ्यक्रम को संचालन की पुष्टि नहीं होने के फलस्वरूप महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, मेघालय से प्राप्त डिप्लोमा इन आयुर्वेद नर्सिंग एण्ड फार्मेसी पाठ्यक्रम के प्रमाण–पत्र ग्राह्य नहीं होना अवगत कराया गया।

अतः जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं प्रशासनिक विभाग की जांच रिपोर्ट पर सहमति के फलस्वरूप उक्त विज्ञापन के तहत आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई वरीयता सूची में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, मेघालय एवं मेघालय राज्य के अन्य शिक्षण संस्थानों से प्राप्त डिप्लोमा/डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्र उक्त पद हेतु ग्राह्य नहीं होने से संबंधित अभ्यर्थियों के चयन निरस्त करते हुये इनका नाम चयन सूची से विलोपित किये जाते हैं।

(डॉ. आनन्द कुमार शर्मा)
निदेशक

कमांकः प.1 / प्रति.3 / नर्स.कम्पा. / भर्ती / 2021 / 4 / 15836 **दिनांकः** 23/08/2022

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय राजस्थान–सरकार, जयपुर।
2. शासन सचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा,यूनानी, सिद्धा एंव होम्योपैथिक (आयुष) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान–जयपुर।
3. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
4. उप शासन सचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा,यूनानी, सिद्धा एंव होम्योपैथिक (आयुष) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान–जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.11(16)आयु./2020 दिनांक 05.02.2022 के क्रम में।
5. अति. निजी सचिव, निदेशक आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक(प्रशा.) निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर।
7. उपविधि परामर्शी, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर।
8. प्रभारी, संस्थापन शाखा, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर।
9. प्रोग्रामर, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर को देकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें व संबंधित को जरिये ई–मेल भिजवावें।
10. संबंधित अभ्यर्थी–द्वारा विभागीय वेबसाईट।
11. रक्षित पत्रावली।

(डॉ.मोहन सिंह मीणा)
सहायक निदेशक